बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.
वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / **Phone :** - +91-612-2222622 फैक्स नं० / **Fax No:** - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486, **Web:** www.bstdc.bihar.gov.in **E-mail:** contactbstdc@gmail.com

संख्या0—02/42/वि0/स्था0/14—15/पार्ट—3/2457/25 दिनांक 29/07/2025

विज्ञप्ति

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन लेखा सहायक के पद पर केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त लेखा सहायक का संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन :—

केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत इच्छुक कर्मियों से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :—

क्र०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कोटि	धारित योग्यता
1	लेखा सहायक	05	• गैरआरक्षित जाति (UR) – 02 पद • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 01 पद • अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) – 01 पद • अनुसूचित जाति (SC) – 01 पद	केन्द्र सरकार/बिहार सरकार कार्यालय से सेवानिवृत्त लेखा सहायक।

संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :—

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि तक 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा संविदा पर रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी जो आवश्यकतानुसार एक—एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा ।
2. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद अवशेष राशि होगा।
3. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने के स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
4. नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के सम्बन्ध में असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र आवश्यक होगा।
5. नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी, कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा नियोजन रद्द की जा सकेगी।
6. नियोजन में निकट के वर्षो में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
7. निम्नांकित कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जायेगी :—

    (क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।
    (ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है।
    (ग) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
    (घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।

    (**नोट** :— क्रमांक "**क**" से "**घ**" तक के संबंध में शपथ—पत्र देना अनिवार्य होगा)
8. सेवानिवृत्त इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक—20.08.2025 के अपराह्न 04:00 बजे तक निगम के कार्यालय—गुरूनानक भवन, सिख हेरिटेज दरोगा राय पथ,पटना—800001 के प्रथम तल पर पत्र आगत निर्गत शाखा में अपना आवेदन निबंधित/हाथों—हाथ समर्पित कर सकते है। निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् डाक सेवा या हाथों—हाथ प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन हेतु नियमावली और विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट—www.bstdc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. इस संबंध में किसी भी तरह की सूचना हेतु प्रबंधक प्रशासन, मोबाईल नं. 8544418206 बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना से संपर्क किया जा सकता है।
11. आवेदन के साथ पी0पी0ओ0 (यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
12. आवेदन हेतु विहित प्रपत्र website-www.bstdc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
13. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा महाप्रबंधक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

ह0/—
महाप्रबंधक
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लि०, पटना।

विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम ....

2. पद का नाम
(जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं।) ....

3. विभाग/कार्यालय का नाम
(जहाँ से सेवानिवृत हुए है) ....

4. जन्म तिथि ....

5. सेवानिवृत्ति की तिथि ....

6. अंतिम प्राप्त वेतन (यदि कोई हो) ....

I. वेतनमान ....
II. मूल वेतन ....
III. ग्रेड पे/Level ....

7. सेवानिवृत्ति को धारित पद एवं उक्त पद का कार्यानुभव ....

8. पेंशन स्वीकृति की स्थिति ....

a) पी॰पी॰ओ॰ न॰ ....
b) स्वीकृत ....
c) स्वीकृत नहीं ....
d) औपबंधिक स्वीकृत
(सही का निशान लगावें तथा आदेश की प्रति संलग्न करें) ....

9. पेंशन की स्वीकृत राशि ....

10. पेंशन+महँगाई भत्ता (कुल जोड़कर) ....

11. सेवानिवृत्ति की तिथि या पूर्व में
आरोप/विभागीय कार्यवाही की स्थिति ....

12. आरोप के निष्पादन की स्थिति/अधिरोपित दण्ड का विवरण
(आरोप नहीं रहने के संबंध में शपथ पत्र (Notary) देना अनिवार्य है) ....

13. आरक्षण कोटि
(1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति
(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग (5) पिछड़ा वर्ग (महिला)
(6) सामान्य (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सही का निशान लगावें) ....
(आरक्षण कोटि की स्थिति में प्रमाण–पत्र)

14. वर्त्तमान पता (मोबाईल न॰ एवं ई–मेल आई॰डी॰ के साथ) ....
....
....

15. स्थायी पता ....
....
....

16. घोषणा पत्र (First Class Judicial Magistrate से) ....

17. स्वास्थय प्रमाण–पत्र ....

18. आवेदक द्वारा समर्पित सभी अभिलेख स्वयं अभिप्रमाणित
होना आवश्यक है।
एतद द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर